कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक हनुमानगढ

कार्यालय –आदेश

श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा–मा./संस्था/एफ–1/12102/शा. शि.ग्रेड–III/सी.भ./वो–1/2017–18 दिनांक 29.11.2019, के निर्देशानुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित तृतीय वेतन श्रृंखला शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2018 में राज्य सरकार के पंत्राक प. 17 (8)शिक्षा–2/2013 जयपुर दिनांक 15.11.2019 के वर्णित बिन्दू सख्या 02 के ए से डी के अनुसार दिनांक 07.12. 2019 को परामर्श शिविर आयोजित कर तृतीय वेतन श्रृंखला शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पद पर राजस्थान सिविल सेवा(पुनरीक्षित वेतनमान)नियम 2017 के अनुसार वेतन लेवल–10 में प्रोबेशनर ट्रेनी(परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी)के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 23700/–प्रतिमाह/विधमान वेतनमान पर नियुक्ति प्रदान की जाती है । राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान के पत्रांक एफ.7(7)(2)/पंचा/रानिआ!/19–20/659 दिनांक 15.01.2020 के द्वारा अनुमति उपरान्त आदेश जारी किये जाते है। संस्था प्रधान इन्हे कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नाकिंत बिन्दुओ की पूर्ति पूर्ण करवाने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करवावें–

1 नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट व सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत स्वास्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा । पूर्व मे राजकीय सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नही होगा ।

2 नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमाक एफ 7(1) डीओपी/ए–II/95 दिनांक 8.4.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.6.2002 को अथवा उसके बाद उत्पन्न संतानो के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या दो से अधिक नही होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र रू0 50/– के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे ।

3 नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह,विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बन्धी प्रावधान लागू होने सेपूर्व हुआ है तो तत्सम्बन्धी आशय का 50ः–रूपये के नॉन ज्यूटिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक प्राप्त किया जावे।

4 नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व आवेदक द्वारा दहेज नही लिय जाने का स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जावेगा।

5 अभ्यर्थियों द्वारा 50 रूपये के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आश्य का शपथ प्रत्र प्राप्त करगे की यदि इनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता व अन्य आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र वैध व मान्य नही पाये गये तो उनका चयन निरस्त करने एवं उनके विरूद्व कानूनी कार्यवाही करने सबंधित अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगे ।

6 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से आप अपने स्तर पर करेगे । मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो उसके सबंध मे पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेगे।

7 चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान सिविल सेवा(पुनरीक्षित वेतनमान)नियम–2017 के अनुसार वेतन लेवल–10 में प्रोवेशन ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी)के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियम मानदेय 23700/–रूपये प्रतिमाह/विघमान वेतनमान पर नियुक्ति प्रदान की गई है।

8 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल आवेदन मे लगी फोटो से मिलान नियुक्ति आदेश में लगी फोटो से कर यह सुनिश्चितता कर ली जावे कि वही अभ्यर्थी नियुक्ति का पात्र है जिसका आवेदन फार्म पर फोटो चस्पा है।

9 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र प्राप्त करे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनांए एवं दस्तावेज सही है इनके त्रुटीपूर्ण जाली अथवा कुटरचित पाए जाने दशा मे उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्व नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा ।

10 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमाक प.7 (3)कार्मिक/क–2 /06/पार्ट दिनांक 4.10.2013 के अनुसार धुम्रपान एवं गुटखा सेवन नही करने संबंधी वचनबृद्वता निर्धरित प्रपत्र मे प्राप्त की जावे ।

ह० 2.5

11 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रोबेशन टैनी)की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भते यथा मह्ंगाई भत्ता,मकान किराया भत्त,शहरीक्षर्ति पूर्ति भत्ता,महगांई वेतन(डीपी)विशेष वेतन ,बोनस आदि देय नही होगा ।

12 परिविक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि मे इन्हे कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित विभाग के आदेश क्रमाक एफ–12(9)एफ.डी(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.11.2017 के अनुसार देय होगा ।

13 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्वि के लिए गणना योग्य नही माना जावेगा ।

14 स्थिर मानदेय से कटौतियां (राज्य बीमा जीपीएफ एनपीएस आदि)नही होगी ।

15 वित विभाग के आदेश क्रमाक एफ–12(9)एफडी(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशन टेनी के फिक्स रेमुनरेशन से नवीन पेशन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी।

16 इन अभ्यर्थियों को दिनांक **03.03.2020** तक अपने पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा ।

17 इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रसारित विज्ञप्ति शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III भर्ती परीक्षा 2018 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के निर्णयों के अध्यधीन रहेगी ।

18 शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–तृतीय सीधी भर्ती परीक्षा 2018 में दी जाने वाली नियुक्तिया माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर में विचाराधीन रिट सख्या 13257/2018 15078/2019 एवं 17309/2019 तथा अन्य समान याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयों के अध्यधीन रहेगी।

SNO	Merit No.	NAME	DOB	GENDER	CAT	विधवा/परित्यता/विकलाग/एकल	SEL_CAT	पदस्थापन	फौटो अभ्यर्थी
01	2226	CHANDERKALA/RANVEER MAKKAR/WARD NO . 1 NEAR K.R. SCHOOL SANGARIA SANGARIA PINCODE 335063 DIST.HANUMANGARH	19-10-1991	Female	OBC	परित्यकता	GEN	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL GMS NO2 SANGARIA (408828)(08020600801)	

हस्ता.
(हंसराज)
जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक हनुमानगढ

क्रमाकः–जिशिअ/मु0/मा0/हनु/संस्था/नियुक्ति/शाशि./अनुदेशक/19/603 दिनांकः– 19/2/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत –

1 श्रीमान शासन उप सचिव प्रथम शिक्षा (ग्रुप–2)विभाग राज0 जयपुर
2 श्रीमान शासन सचिव कार्मिक (क–2)विभाग राज0 जयपुर
3 श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राज0 बीकानेर
4 श्रीमान संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा संभाग बीकानेर मण्डल बीकानेर
5 श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी हनुमानगढ ।
6 जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक हनुमानगढ ।
7 सबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ....
8 संबंधित संस्था प्रधान..
9 संबंधित अभ्यर्थी..
10 कार्यालय प्रति

हस्ता.
जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक हनुमानगढ